प्रेस नोटः–
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 06.10.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–:

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **27 वाहनों से कुल रू0 4600/– शमन शुल्क वसूलकर 01 वाहन सीज किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–21 व्यक्तियों को अन्र्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 05.10.2019 को जनपद के थानों से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामप्रीत पुत्र हीरा लाल, 02. कुसमा पत्नी नन्द किशोर नि0 सीहागॉव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–254/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. देवानन्द पुत्र झिन्नू नि0 पुली बनकट थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–278/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी करने आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का समान बरामद–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना खोड़ारे पुलिस ने चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों–01. मंगरू पुत्र रामशंकर नि0 डीएम बंगला कुक नगर ग्रण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा, 02. बब्लू पुत्र जगराम नि0 नेतौरी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को थाना खोड़ारे पर पंजीकृत मु0अ0सं0–158/19, धारा 379.411 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 3/4.10.2019 की रात्रि वादी अब्दुल कलाम मलिक पुत्र शोहराब अली नि0 राधव बस्ती थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के निर्माणाधीन स्कूल से अज्ञात चोरो द्वारा नल व पानी की मोटर को चुराकर फरार हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना खोड़ारे में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें आज दिनांक 06.10.2019 को थाना खोड़ारे पुलिस ने प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तों को मोकोईया तिराह के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पानी का मोटर व हैण्डपम्प का ऊपरी हिस्सा बरामद कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

लड़की का अपहरण करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात पुलिस ने लड़की का अपहरण करने के आरोपी अभियुक्तों–01. अज्जू पुत्र बब्बन नि0 लालपुर सेमरा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा, 02. रमेश वर्मा पुत्र सियाराम वर्मा नि0 जगतापुर थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती को थाना को0 देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0–201/19, धारा 363.366.494 भादवि के तहत किया गिरफ्तार।

उक्त अभियुक्तगणों ने थाना को0 देहात क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गये थे। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना को0 देहात में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 देहात पुलिस ने आज दिनांक 06.10.2019 को मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्तों को सोनी गुमटी के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 06.10.2019

अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद भाला भी बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 कप्तान सिंह नि0 अमृता पुरवा मौजा सुखेड़िया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 30 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण।
02. 03 किलो यूरिया।
03. 300 ग्राम नौसादर।
04. 01 अदद भाला।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–338/19, धारा 60/60(1)(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–339/19, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों व अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया था। जिसमें थाना को0 देहात पुलिस को अवैध शराब के विरूद्ध सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 05.10.2019 को थाना को0 देहात ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, शराब बनाने के उपकरण व 01 अदद भाला की बरामदगी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात में आबकारी व आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 बब्बन सिंह।
02. उ0नि0 विनोद कुमार।
03. उ0नि0 भानू प्रताप सिंह।
04. का0 आनन्द प्रकाश शुक्ला, का0 मनोज यादव, का0 दीपेन्द्र प्रताप सिंह।

01 किलो 380 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. इन्द देव ओझा उर्फ ननकेश पुत्र जगप्रसाद नि0 संझवल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–200/19, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 किलो 380 ग्राम नाजायज गांजा।

संक्षिप्त विवरण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने जनपद में अवैध मादक पादर्थ की तस्करी के सम्बन्ध में रोक लगाने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था। उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 06.10.2019 को थाना खरगूपुर पुलिस ने क्षेत्रभ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त इन्द्रदेव ओझा को बिकवा घाट पुल शंकर जी के मन्दिर के बगल से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 380 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीमः–

01. व0उ0नि0 कन्हैया दीक्षित।
02. का0 श्रीनाथ यादव।
03. का0 मनोज कुमार।
04. का0 नरेन्द्र यादव।
05. का0 शशि कपूर यादव।